गन्ने का भुगतान मूल्य ₹20/क्विंटल बढ़ाने का प्रस्ताव

[पीटीआई | नई दिल्ली]

कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) ने अगले सत्र में गन्ना के उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफआरपी) में 20 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी कर इसकी कीमत 275 रुपये प्रति क्विंटल करने की सिफारिश की है। एक सरकारी अधिकारी ने यह जानकारी दी। एफआरपी वह न्यूनतम मूल्य है, जो चीनी मिलों को किसानों को भुगतान करना होता है। यह एफआरपी चालू माह से शुरू होने वाले वर्ष 2017-18 के सत्र के लिए 255 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है।

अधिकारी ने बताया, '2018-19 के सत्र के लिए सीएसीपी ने उत्पादन, परिवहन और फसल बीमा के प्रीमियम की लागत एवं अन्य खर्चों को ध्यान में रखते हुए गन्ने का एफआरपी 275 रुपये प्रति क्विंटल करने का प्रस्ताव किया है। हाल में इस संबंध में एक रिपोर्ट सीएसीपी ने खाद्य मंत्रालय को सौंपी थी। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग वह वैधानिक निकाय है, जो सरकार को प्रमुख खाद्य उत्पादों के लिए मूल्य नीति के बारे में सलाह देता है।

सामान्य तौर पर सरकार सीएसीपी की सिफारिशों को स्वीकार कर लेती है। प्रस्तावित बढ़ोतरी का अनुकूल असर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में भी पड़ने की संभावना है, जो सामान्य तौर पर केंद्र द्वारा घोषित एफआरपी का पालन नहीं करता और अपने परामर्श मूल्य को बढ़ाता है। उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा जैसे प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य खुद गन्ना कीमत तय करते हैं जिसे प्रदेश परामर्श मूल्य (एसएपी) कहा जाता है और यह सामान्य तौर पर केंद्र के एफआरपी से ज्यादा होता है। कृषि मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए पहले अनुमान के अनुसार चालू वर्ष में बेहतर बारिश के कारण गन्ना उत्पादन बढ़कर 33 करोड़ 76.8 लाख टन रहने का अनुमान है जो क्रॉप ईयर 2016-17 में 30 करोड़ 67.3 लाख टन था।

The Economic Times

30/10/17

✓ ₹